

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही गय इनिशियल्स जज 11/2019 राजाराम बनाम सरकार अन्तर्गत 136 एल.आर.एक्ट	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
23.07.2019	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। राजपैरोकार उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए चक 43 एनपी के मु.नं. 14 प.नं. 231/319 के कि.नं. 13/2 ता 25 की कुल 3.038है0 नहरी भूमि में 1/3 हिस्सा नहरी भूमि का जमाबंदी रिकार्ड में राजूराम पुत्र शंकरलाल को दुरुस्त किया जाकर सही नाम राजाराम पुत्र शंकरलाल को दुरुस्त करने के आदेश फरमाने हेतु निवेदन किया। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार(भू.अ.) रायसिंहनगर के पत्रांक/भू.अ. /19/1607 दिनांक 22.05.2019 के अनुसार जमाबंदी सम्वत् 2071-74 चक 43 एनपी के खाता संख्या 45 मु.नं. 14 प.नं. 231/319 के कि.नं. 13/2 ता 25 की कुल 3.038है0 नहरी भूमि राजूराम वल्द शंकर, कालूराम वल्द मनसाराम, रघुवीर वल्द हनुमान कौम नायक सा. अमरसर हर तीन ब.हि.ब. खातेदार राहिन हि. रघुवीर बैंक ऑफ बडौदा शाखा रायसिंहनगर मुर्तहीन, राहिन हिस्सा कालूराम एमजीबी बैंक शाखा रायसिंहनगर मुर्तहीन दर्ज रिकार्ड हैं। उक्त रकबा पर किसी न्यायालय का कोई स्थगन/विवाद नहीं हैं। राजाराम वल्द शंकर व राजूराम वल्द शंकर एक ही व्यक्ति का नाम हैं। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में राजूराम अंकित हैं। जबकि सही नाम राजाराम हैं। अतः प्रार्थी का नाम राजूराम वल्द शंकर के स्थान पर राजाराम वल्द शंकर किया जावे तो उचित होगा।</p> <p>प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संलग्न दस्तावेजों, रिपोर्ट तहसीलदार(भू.अ.) एवं शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड चक 43 एनपी के मु.नं. 14 प.नं. 231/319 के कि.नं. 13/2 ता 25 की कुल 3.038है0 नहरी भूमि का जमाबंदी रिकार्ड में राजूराम पुत्र शंकरलाल के स्थान पर राजाराम पुत्र शंकरलाल की दुरुस्ती की जाती हैं। इसी आशय का आदेश तहसीलदार(राजस्व) रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">(संदीप कुमार) उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर</p>	